***माननीय एम.एम. कुमार, जसवन्त सिंह जे.जे. के* समक्ष**

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा निगम - अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड, हिसार और अन्य- उत्तरदाता

2009 *की सीएपीपी संख्या* 23

***निर्णय की तिथि:* 15 *दिसंबर* 2009**

कंपनी अधिनियम, 1956— धारा 483- प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा का प्रवर्तन ब्याज अधिनियम, 2002— धारा 5(1 अभिनिर्धारित किया गया कि)(बी) 35—- देय ऋणों की वसूली बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993- उच्च न्यायालय का आदेश कंपनी का समापन- कंपनी न्यायाधीश ने प्रतिभूतिकरण-कंपनी को समापन की कार्यवाही से बाहर रहने और सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति दी - कंपनी न्यायाधीश ने एचएसएचडीसी और प्रतिभूतिकरण कंपनी को कुछ निर्देश जारी किए - इसे चुनौती - क्या कंपनी न्यायालय को पर्यवेक्षी निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत परिसमापन में या समापन के तहत कंपनी के संबंध में एक प्रतिभूतिकरण कंपनी/सुरक्षित ऋणदाता या परिसमापन के बाहर खड़े होने का विकल्प चुनने वाली प्रतिभूतिकरण कंपनी परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों की बिक्री आय का उपयोग करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है- आयोजित, हाँ-अपील खारिज कर दी गई

अभिनिर्धारित किया गया कि , कंपनी न्यायालय को जारी करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है एक प्रतिभूतिकरण कंपनी या सुरक्षित ऋणदाता को निर्देश, जिसने समापन से बाहर रहने का विकल्प चुना हो और सरफेसी

अधिनियम की धारा *13(4)* के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया हो। इसलिए, हम पाते हैं कि विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने मुद्दे की सही सराहना की है

(पैरा 34)

इसके अलावा, *अभिनिर्धारित किया गया कि* हम विद्वान कंपनी न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि सरफेसी अधिनियम की धारा 35 उस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत किसी भी चीज़ के गैर-अस्थिर खंड के साथ इसके प्रावधानों के अधिभावी प्रभाव का प्रावधान करती है। यह केवल असंगतता है जो अन्य कानूनों को लागू करने से रोकेगी, अन्यथा नहीं। पर्यवेक्षी निर्देशों के मुद्दों में कोई असंगति नहीं है अधिनियम की धारा 529ए के स्वीकृत उद्देश्य को प्राप्त करें जैसा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(9) के अनगिनत पांच प्रावधानों द्वारा प्रतिध्वनित होता है क्योंकि सरफेसी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो धारा 529ए के अनुसार श्रमिकों के दावे के साथ कोई टकराव देता हो।

कमल सहगल, एडवोकेट, / अपीलकर्ता- HSIIDC की तरफ से

सुश्री पुनीता सेठी, एडवोकेट, आधिकारिक परिसमापक की तरफ से

एम.एल. सरिन, वरिष्ठ अधिवक्ता, हरप्रीत सिंह गियानी, एडवोकेट के साथ, प्रतिवादी सं. 2 की तरफ से

एम.एम. कुमार, जे :

(1) यह आदेश कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 483 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') के तहत 20.3.2009 के विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई 2009 की सीएपीपी संख्या 23 और 28 वाली दो क्रॉस अपीलों का निपटान करेगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (2009 के सीएपीपी नंबर 23 में अपीलकर्ता) [संक्षिप्तता के लिए, 'एचएसआईआईडीसी'] ने मुख्य रूप से दावा किया है कि पेगासस एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (संक्षिप्तता के लिए, ' प्रतिभूतिकरण कंपनी') को ध्यान में रखते हुए विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देश एचएसआईआईडीसी को संबद्ध किए बिना) पूरी तरह से गलत है और इसे शुरू से अंत तक बिक्री की प्रक्रिया से जुड़े रहने का अधिकार है। हालाँकि, प्रतिभूतिकरण कंपनी (2009 के सीएपीपी संख्या 28 में अपीलकर्ता) ने 20.3.2009 के अपने आदेश में विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए पर्यवेक्षी निर्देशों पर भी हमला किया है, जिसमें बिक्री के लिए सभी प्रस्ताव आधिकारिक परिसमापक और विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बिक्री के संचालन से प्राप्त मूल्यांकन और बिक्री नोटिस में विशेष रूप से एक खंड शामिल होना चाहिए कि

समापन की कार्यवाही कंपनी न्यायालय के समक्ष लंबित है, मामले की संख्या और न्यायनिर्णयन न्यायालय के विवरण के साथ। प्रतिभूतिकरण कंपनी की आगे की शिकायत यह है कि विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने उसे कंपनी न्यायालय के समक्ष अपने दावे का विवरण और स्वयं के लिए कोई भी विनियोग करने और राशि का वितरण करने से पहले किए गए सभी खर्चों का विवरण देने के लिए कहा है।

(2) विवाद को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए कुछ तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड, हिसार-प्रतिवादी नंबर 1 एक कंपनी है जो 20.11.1973 को निगमित हुई थी, जिसे हरियाणा राज्य द्वारा प्रवर्तित किया गया था और इसकी प्रमुख शेयरधारिता राज्य सरकार और एचएसआईआईडीसी के पास थी। राज्य सरकार ने 23.1.1974 को इस कंपनी को बढ़ावा देने के लिए 40 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। इसने बैंक ऑफ इंडिया से 30 लाख रुपये का कर्ज लिया था संयंत्र, मशीनरी और भवन द्वारा सुरक्षित किए गए थे। प्रतिवादी नंबर 1-कंपनी बीमार हो गई और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (संक्षिप्तता के लिए, 'बीआईएफआर') ने इसे बंद करने की सिफारिश की थी। 28.10.1999 को, इस न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी को बंद करने का आदेश दिया और इस न्यायालय से जुड़े आधिकारिक परिसमापक को परिसमापन में कंपनी की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया गया।

(3) 28.5.2004 को, इस न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक को लेनदारों के दावों को पूरा करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी की अचल संपत्ति बेचने की अनुमति दी। आधिकारिक परिसमापक ने 21.10 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली स्वीकार करते हुए प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी की संपत्ति बेच दी और बिक्री की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा मेसर्स राधा रमन बिल्डर्स

के पक्ष में की गई। नीलामी क्रेता बोली राशि का 15% जमा करने में विफल रहा, इसलिए उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली गई। 20.3.2008 को, आधिकारिक परिसमापक द्वारा संपन्न बिक्री को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। मेसर्स राधा रमन बिल्डर्स द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि वापस करने का आदेश दिया गया था। उन्हें नए सिरे से बिक्री करने का निर्देश दिया गया। नीलामी क्रेता मेसर्स राधा रमन बिल्डर्स ने कंपनी की अपील दायर की और दिनांक 22.1.1999 के आदेश द्वारा ब्याज प्रदान किया गया।

(4) यहां यह ध्यान देना उचित है कि प्रतिभूतिकरण कंपनी ने दावा किया है कि बैंक ऑफ इंडिया प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी का एकमात्र सुरक्षित ऋणदाता था। 27.8.2008 को, प्रतिभूतिकरण कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक असाइनमेंट समझौता किया। इसमें निहित नियमों और शर्तों के अनुसार, ऐसे अग्रिमों के संबंध में अंतर्निहित संपार्श्विक, सुरक्षा ब्याज, प्रतिज्ञा और/या गारंटी सहित क्रेडिट दस्तावेजों में बैंक ऑफ इंडिया के अन्य सभी सहायक अधिकारों, शीर्षकों और हितों के साथ अपने सभी अग्रिम खरीदे गए (असाइनमेंट एग्रीमेंट ए-1 2009 के सीएपीपी नंबर 28 के साथ संलग्न) और जैसा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 5(1)(बी) के तहत परिकल्पित है (संक्षिप्तता के लिए, 'सरफेसी अधिनियम')। इस प्रकार, प्रतिभूतिकरण कंपनी ने प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी से निर्धारित बकाया वसूलने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर कदम रखा। यह उल्लेख करना भी उचित है कि बैंक ऑफ इंडिया ने एक समय अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी की अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए अपनी सहमति दी थी। बाद में सहमति इस आधार पर वापस ले ली गई कि सहमति देने के बाद काफी समय बीत चुका था लेकिन बिक्री प्रक्रिया में काफी देरी हुई थी।

दावा किया गया है कि इस बीच संपत्तियों की कीमत भी काफी बढ़ गई है.

(5) बैंक ऑफ इंडिया ने वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 (संक्षिप्तता के लिए, 'डीआरटी अधिनियम') के तहत प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी से बकाया राशि की वसूली के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (संक्षिप्तता के लिए, 'ट्रिब्यूनल') से भी संपर्क किया था। ट्रिब्यूनल ने गिरवी रखी गई संपत्ति और बकाया राशि पर बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारों को स्वीकार करते हुए 9.5.2002 को एक आदेश पारित किया था और प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए थे (2009 के सीएपीपी नंबर 28 के साथ संलग्न अनुबंध ए-2) ।

(6) प्रतिभूतिकरण कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर इसे प्रतिस्थापित करने के लिए आधिकारिक परिसमापक को भी सूचित कर दिया है। उन्होंने संपत्ति की बिक्री से बकाया वसूलने का इरादा भी दिखाया और परिसमापन प्रक्रिया से बाहर रहने और धारा 529ए के अनुसार प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी के श्रमिकों के अधिकारों के अधीन सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसकी सुरक्षा लागू करने का विकल्प चुना। अधिनियम का. उस संबंध में, प्रतिभूतिकरण कंपनी ने SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक नोटिस और आधिकारिक परिसमापक को एक पत्र क्रमशः 8.9.2008 और 9.9.2008 भेजा था (सीएपीपी संख्या 2009 का 28 के साथ अनुबंध ए-3 और ए-4)।

(7) एचएसआईआईडीसी कंपनी कोर्ट के समक्ष पेश हुआ और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संपत्ति का मूल्य कई गुना बढ़ गया है, बिक्री के लिए प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी की इकाई को फिर से विज्ञापित करने की प्रार्थना की। यह दावा किया गया है कि एचएसआईआईडीसी ने विभिन्न बैंकों की देनदारियों और रुपये का निपटान किया।

10,39,98,000/- का भुगतान तीन बैंकों को किया गया, अर्थात्, (i) बैंक ऑफ महाराष्ट्र; (ii) पंजाब नेशनल बैंक; और (iii) बैंक ऑफ इंडिया। प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी की चल संपत्तियों पर उपरोक्त उल्लिखित बैंकों के भार को हटाने के बाद, इस न्यायालय ने दिनांक 22.5.2006 के आदेश के तहत तीन बैंकों के स्थान पर एचएसआईआईडीसी के प्रतिस्थापन/प्रतिस्थापन का आदेश दिया।

(8) कंपनी कोर्ट ने स्वयं बोली लगाई है। 29.12 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त होने के समय, प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी के स्वामित्व वाली कुल 40 एकड़ भूमि में से लगभग 4 एकड़ भूमि के एक हिस्से को लेकर विवाद था, जो डीएचबीवीएन के अनधिकृत कब्जे में था। कंपनी कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के दौरान, सुरक्षित ऋणदाता बैंक ऑफ इंडिया के साथ-साथ एचएसआईआईडीसी ने 4 एकड़ की उपरोक्त विवादित भूमि को कलेक्टर दर पर डीएचबीवीएन को बेचने पर सहमति व्यक्त की। 20.3.2008 को, विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने एक आदेश पारित करने का दावा किया है, जिसमें आधिकारिक परिसमापक को बैंक ऑफ इंडिया और एचएसआईआईडीसी को संबद्ध करने के बाद परिसमापन में कंपनी की संपत्ति बेचने की अनुमति दी गई है। आगे यह निर्देश दिया गया कि संपत्ति का आरक्षित मूल्य 29.12 करोड़ रुपये निर्धारित किया जाए।

(9) आधिकारिक परिसमापक ने एचएसआईआईडीसी को संबद्ध करके राजस्व अधिकारियों के माध्यम से संबंधित भूमि का सीमांकन कार्य शुरू किया। यह पाया गया कि 27 कनाल 10 मरला के क्षेत्र को छोड़कर, जो डीएचबीवीएन के कब्जे में था, और आम सड़क क्षेत्र 12 कनाल 9 मरला (कुल 39 कनाल 19 मरला) को छोड़कर, बिक्री के लिए उपलब्ध शुद्ध क्षेत्र 42.78 एकड़ यानी 286 कनाल 17 मरला था। चूंकि कंपनी कोर्ट ने दिनांक 20.3.2008 के आदेश के तहत 40 एकड़ भूमि

की बिक्री का आदेश दिया था, इसलिए, दिनांक 20.3.2008 के आदेश में संशोधन के लिए 2008 के सीए नंबर 590-591 वाला एक आवेदन दायर किया गया था। इसके साथ ही, 2008 के सीए नंबर 704-705 वाला एक अन्य आवेदन भी प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा दिनांक 20.3.2008 के आदेश को वापस लेने और आधिकारिक परिसमापक को संपत्ति की बिक्री के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्देश देने के लिए दायर किया गया था। आगे प्रार्थना की गई कि आधिकारिक परिसमापक को संपत्तियों का कब्जा सौंपने और प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा जारी धारा 13 (2) के तहत वसूली प्रमाणपत्र, नोटिस सहित विकास को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया जा सकता है। एचएसआईआईडीसी भी उक्त आवेदनों की प्रस्ताव सुनवाई के समय उपस्थित हुआ और उसे आवश्यक पक्ष के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई।

(10) संबंधित पक्षों द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद, विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति देते हुए इसे समापन कार्यवाही से बाहर रहने और सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 और 9 (संक्षिप्तता के लिए, 'नियम') के साथ पढ़े गए SARFAESI अधिनियम की धारा 13 के तहत सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री के लिए लाने की कार्रवाई करने की अनुमति दी। प्रतिभूतिकरण कंपनी ने अपनी अपील CAPP NO. 2009 के 28 में कहा गया है कि उसे पर्याप्त राहत दी गई है, लेकिन वह अभी भी आधिकारिक परिसमापक को प्रस्तावों की रिपोर्ट करने के निर्देश जारी करके विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा दिए गए नियंत्रण से व्यथित है। वे इस निर्देश से भी व्यथित महसूस करते हैं कि बिक्री नोटिस में समापन कार्यवाही की लंबितता के बारे में उल्लेख होना चाहिए। विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 20.3.2009 द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी को बिक्री करते समय आधिकारिक परिसमापक को उनके द्वारा

उठाए गए कदमों के बारे में सूचित रखने का आदेश दिया और निम्नलिखित निर्देश जारी किए:-

> "19. यदि SARFAESI अधिनियम और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने का कोई प्रयास किया जा सकता है, तो कंपनी न्यायालय द्वारा बिक्री के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और इसके लिए कई चरणों में आवेदक के समनुदेशक की भागीदारी के संदर्भ में कंपनी न्यायालय के माध्यम से बिक्री का संचालन, ओ.एल. के माध्यम से की गई कार्यवाही को रद्द करना अनुचित होगा, जबकि इस दावे को कायम रखते हुए कि SARFAESI अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया सुरक्षा प्रवर्तन नियमों के प्रावधानों को आचरण के लिए लागू करने में सक्षम बनाएगी और बिक्री की पुष्टि, इस मामले में छूट होगी

a. आवेदक को समापन कार्यवाही से बाहर रहने और सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री के लिए लाने की कार्रवाई करने की अनुमति देना।

b. आवेदक-पुनर्निर्माण कंपनी सरफेसी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत उठाए गए सभी कदमों को पारदर्शी रखेगी और बिक्री के लिए सभी प्रस्ताव ओ.एल. को प्रस्तुत करेगी। और प्रयुक्त मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से बिक्री के संचालन के लिए प्राप्त मूल्यांकन का विवरण।

c. बिक्री को एक विशिष्ट खंड के साथ विज्ञापित किया जाएगा कि समापन की कार्यवाही कंपनी न्यायालय के समक्ष लंबित है, मामले की संख्या और निर्णय न्यायालय के विवरण के साथ।

d. ओ.एल. द्वारा बिक्री के संचालन के लिए पहले से ही किए गए खर्च। किसी भी विनियोजन या संवितरण से पहले बिक्री आय से कटौती की जाएगी और ओ.एल. के पास जमा की जाएगी।

e. पुनर्निर्माण कंपनी स्वयं के लिए कोई भी विनियोग करने और वितरित करने से पहले कंपनी न्यायालय के समक्ष अपने दावे और किए गए सभी खर्चों का विवरण रखेगी।

f. जो अधिशेष कानूनी रूप से देय है, उससे अधिक आय ओ.एल. के समक्ष कंपनी के क्रेडिट (परिसमापन में) में जमा की जाएगी।"

(11) विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 20.3.2009 अपीलकर्ताओं एचएसआईआईडीसी और प्रतिभूतिकरण कंपनी दोनों द्वारा इन अपीलों में चुनौती का विषय है।

(12) श्री श्री एम.एल. प्रतिभूतिकरण कंपनी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देश स्पष्ट रूप से SARFAESI अधिनियम के उद्देश्य, अक्षर और भावना के विरुद्ध हैं और ऐसे सभी निर्देश रद्द किए जाने योग्य हैं, खासकर जब प्रतिभूतिकरण कंपनी को एकमात्र सुरक्षित ऋणदाता होने के कारण समापन से बाहर रखा गया। विद्वान वकील ने प्रचार किया है कि सरफेसी अधिनियम को लागू करने का मूल उद्देश्य यह था कि भारी गैर-निष्पादित संपत्तियां थीं और डिफ़ॉल्ट ऋणों की वसूली की गति दयनीय रूप से धीमी थी। उन्होंने सरफेसी अधिनियम के पारित होने से पहले विधेयक प्रस्तुत करते समय दिए गए कथन के उद्देश्यों और कारणों और

खंड (एच) और (आई) के निम्नलिखित कथन पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है:-

"भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने में सफलता प्राप्त करने के प्रयासों में वित्तीय क्षेत्र प्रमुख चालकों में से एक रहा है। जबकि भारत में बैंकिंग उद्योग उत्तरोत्तर अंतरराष्ट्रीय विवेकपूर्ण मानदंडों और लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं। दुनिया के वित्तीय बाजारों में अन्य प्रतिभागियों की तुलना में उनके पास समान अवसर नहीं हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण की सुविधा के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बैंकों के विपरीत, भारत में बैंक और वित्तीय संस्थान प्रतिभूतियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की शक्ति नहीं है। वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित हमारा मौजूदा कानूनी ढांचा बदलती वाणिज्यिक प्रथाओं और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है। इसके परिणामस्वरूप डिफ़ॉल्ट ऋणों की वसूली धीमी हो गई है और भुगतान का स्तर बढ़ रहा है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ। बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की जाँच के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा गठित नरसिम्हम समिति I और II और अंध्यारुजिना समिति ने इन क्षेत्रों के संबंध में कानूनी प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर विचार किया है। इन समितियों ने, अन्य बातों के अलावा, प्रतिभूतिकरण के लिए एक नया कानून बनाने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों पर कब्ज़ा करने और अदालत के हस्तक्षेप के बिना उन्हें बेचने का अधिकार देने का सुझाव दिया है। इन सुझावों पर कार्रवाई करते हुए, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के

प्रवर्तन को विनियमित करने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 को 21 जून, 2002 को प्रख्यापित किया गया था। अध्यादेश के प्रावधान बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का एहसास करने, तरलता की समस्या, परिसंपत्ति देयता बेमेल का प्रबंधन करने और प्रतिभूतियों पर कब्जा करने, उन्हें बेचने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने के उपायों को अपनाने की पुनर्प्राप्ति या पुनर्निर्माण शक्तियों का प्रयोग करके वसूली में सुधार करने में सक्षम बनाएंगे।

2. अब अध्यादेश को एक विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अध्यादेश के प्रावधान शामिल हैं -

(ए) से (जी) xxxxxxxxx

(ज) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वित्तीय सहायता के लिए दी गई प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेने और डिफ़ॉल्ट की स्थिति में उन्हें बेचने या पट्टे पर देने या प्रबंधन अपने हाथ में लेने का अधिकार देना, यानी दिए गए निर्देशों के अनुसार उधारकर्ता के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करना। या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश;

(i) सुरक्षित ऋणदाता के अधिकारों का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार उसके एक या अधिक अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा;

(जे) से (एम) xxx xxx xxx

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।"

(13) उद्देश्यों और कारणों के उपरोक्त कथन के आधार पर, श्री सरीन द्वारा प्रतिपादित मूल परिकल्पना यह है कि प्रतिवादी नंबर 2 जैसी प्रतिभूतिकरण कंपनी किसी भी बंधन और बंधन से मुक्त है जो आमतौर पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कंपनी न्यायालय को बांधती है। उन्होंने कहा है कि प्रतिभूतिकरण कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ धारा 3 के तहत पंजीकृत किया गया है। विद्वान वकील के अनुसार बहुत कम प्रतिभूतिकरण कंपनियां हैं, जो सख्त वित्तीय नियंत्रण और अपने पूर्ववृत्त की गहन जांच को पूरा कर सकती हैं, ताकि सरफेसी अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजीकृत हो सकें। यह बताया गया है कि पूरे देश में निम्नलिखित 12 कंपनियां हैं जिन्हें SARFAESI अधिनियम की धारा 13 के तहत पंजीकृत किया गया है:-

क्रम संख्या	पंजीकृत कंपनी का नाम	कंपनी के प्रमोटरों का पता
1.	परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ARCIL)	श्रीपति आर्केड अगस्त क्रांति मार्ग, नाना चौक, मुंबई -40003
2.	एसेट्स केयर एंटरप्राइज लिमिटेड	आईएफसीआई टॉवर, 61, आईएफसीआई, पीएनबी नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110019

3.	एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	यूटीआई टॉवर, जीएन यूटीआई, बीओआई, एल्ड। बैंक, इंडियन बैंक ब्लॉक। बांद्रा कुर्ला, कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400051
4.	पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	46, चौथी मंजिल, फ्री प्रेस हाउस नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021
5.	धीर एंड धीर संपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिकरण कंपनी लिमिटेड	डी -54 (एफएफ), डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली - 110024
6.	इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	104, अशोका एस्टेट, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001
7.	रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	रिलायंस सेंटर 19. वालचंद हीराचंद मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट मुंबई-400038
8.	पृथ्वी संपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिकरण कंपनी लिमिटेड	123/3 आरटी पहली मंजिल। संजीव रेड्डी नगर, हैदराबाद-500038

9.	फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड	240, नवसारी, कोटक महिंद्रा बैंक बिल्डिंग 1 फ्लोर डीएन रोड मुंबई - 400001
10.	संपत्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण प्राइवेट लिमिटेड का आविष्कार	7. रहेजा सेंटर, ग्राउंड फ्लोर 214. फ्री प्रेस जर्नल मार्ग मुंबई-400021
11.	जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	141, मेकर, चैंबर्स III, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021
12.	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी)	एसएमई विकास केंद्र, प्लॉट नंबर सी -11, जी- सिडबी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400051

(14) विद्वान वकील के अनुसार SARFAESI अधिनियम की धारा 5(1)(बी) के तहत एक गैर-अस्थिर प्रावधान किया गया है, जिसमें यह विचार किया गया है कि एक प्रतिभूतिकरण कंपनी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एक समझौता करके उनकी वित्तीय संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण

कंपनी को ऐसे नियमों और शर्तों पर हस्तांतरण, जिन पर उनके बीच सहमति हो सकती है। ऐसी व्यवस्था को किसी भी समझौते या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद संचालित करने की अनुमति है। प्रतिभूतिकरण कंपनी को धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजनों के लिए विभिन्न उपाय प्रदान करने की अनुमति दी गई है। ऐसी कंपनी प्रवर्तन सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा हित की भी हकदार है।

(15) SARFAESI अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह केवल भारतीय रिज़र्व बैंक है जो आय, मान्यता, लेखांकन मानकों से संबंधित मामले में नीति निर्धारित कर सकता है और प्रतिभूतिकरण कंपनी को निर्देश जारी कर सकता है, बुरे के लिए प्रावधान कर सकता है। और संदिग्ध ऋण. यहां तक कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की वित्तीय परिसंपत्ति के प्रकार, जिसे अर्जित किया जा सकता है और ऐसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया के संबंध में भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ये निर्देश उन वित्तीय परिसंपत्तियों के कुल मूल्य के संबंध में भी जारी किए जा सकते हैं जिन्हें एक प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।

(16) श्री सरीन ने तब सरफेसी अधिनियम अध्याय III की धारा 13 से 19 तक का उल्लेख किया और तर्क दिया कि धारा 13 (1) के तहत किसी भी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाए गए किसी भी सुरक्षा हित को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के बावजूद सरफेसी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना लागू किया जा सकता है एक बार किसी डिफॉल्टर को सुरक्षित ऋण या उसकी किस्त के पुनर्भुगतान के लिए 60 दिनों का नोटिस दिया जाता है और ऐसा डिफॉल्टर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो

सुरक्षित लेनदार हकदार है धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उधारकर्ता की सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए, जिसमें सुरक्षित संपत्तियों की वसूली के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से क्षेत्राधिकार का अधिकार भी शामिल है। यह बताया गया है कि धारा 13 की उप-धारा (3ए) वर्ष 2004 में जोड़ी गई थी और उधारकर्ता द्वारा धारा 13(2) के तहत जारी किए गए नोटिस के जवाब में प्रतिनिधित्व पर सुरक्षित ऋणदाता द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है और अभ्यावेदन स्वीकार न करने के कारणों को ऐसे उधारकर्ता को सूचित किया जाना आवश्यक है, हालांकि इस प्रकार संप्रेषित कारण उधारकर्ता को धारा 17 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण या धारा 17 ए के तहत जिला न्यायाधीश की अदालत के समक्ष आवेदन करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। . धारा 13(7) के प्रावधानों का हवाला देते हुए आगे बताया गया है कि किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी/सुरक्षित ऋणदाता द्वारा उचित रूप से किया गया कोई भी खर्च या उससे जुड़ा कोई भी खर्च धारा के तहत कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया में उधारकर्ता से वसूल किया जा सकता है। 13(4) में कब्ज़ा लेना, सुरक्षित परिसंपत्तियों आदि की प्राप्ति के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार शामिल है। इसके विपरीत किसी भी अनुबंध के अभाव में सुरक्षित लेनदार द्वारा प्राप्त धन उसके द्वारा ट्रस्ट में रखा जाता है। जिसे सबसे पहले ऐसी लागतों, भार और खर्चों के भुगतान में लागू किया जाना है। दूसरे, सुरक्षित ऋणदाता के कर्तव्यों के निर्वहन में और इस प्रकार प्राप्त धन के अवशेष का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाना आवश्यक है जो उनके अधिकारों और हितों के अनुसार इसके हकदार हैं। इसके बाद उन्होंने धारा 13(9) के प्रावधान का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि किसी कंपनी के परिसमापन के मामले में, सुरक्षित संपत्ति की बिक्री को

अधिनियम की धारा 529ए के प्रावधानों के अनुसार वितरित किया जाना आवश्यक है। SARFAESI अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बंद होने वाली कंपनी के संबंध में, धारा 13(9) के दूसरे प्रावधान द्वारा विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। श्री सरीन ने आगे बताया है कि धारा 13(9) के पहले प्रावधान के अनुसार परिसंपत्तियों के वितरण के परिणामस्वरूप किसी सुरक्षित ऋणदाता या प्रतिभूतिकरण कंपनी पर कोई बंधन नहीं लगेगा, जिसे कंपनी न्यायाधीश द्वारा लगाया जाएगा क्योंकि 2. , तीसरा और चौथा प्रावधान स्पष्ट करता है कि यदि कोई कंपनी सरफेसी अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बंद हो रही है तो एक सुरक्षित ऋणदाता जो अपनी सुरक्षा का एहसास करने का विकल्प चुनता है, वह श्रमिकों का बकाया जमा करने के बाद अपनी सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री आय को बनाए रखने का हकदार है। अधिनियम की धारा 529ए के प्रावधानों के अनुसार आधिकारिक परिसमापक और तीसरे प्रावधान के अनुसार श्रमिकों के बकाया के बारे में आधिकारिक परिसमापक द्वारा एक सुरक्षित ऋणदाता को सूचित किया जाना आवश्यक है। यदि श्रमिकों के बकाया का पता नहीं लगाया जा सका है, तो अधिनियम की धारा 529ए के तहत श्रमिकों के बकाया की अनुमानित राशि को सूचित करना आवश्यक है और ऐसा सुरक्षित ऋणदाता ऐसी अनुमानित बकाया राशि को जमा करने के बाद सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री आय को बरकरार रख सकता है। आधिकारिक परिसमापक. चौथे परंतुक द्वारा अतिरिक्त दायित्व लगाया गया है कि एक सुरक्षित ऋणदाता श्रमिकों के बकाया का भुगतान करने के लिए बाध्य है या वह आधिकारिक परिसमापक के साथ सुरक्षित ऋणदाता द्वारा जमा की गई अतिरिक्त राशि की वापसी का हकदार होगा।

(17) श्री सरीन ने तब धारा 35 के प्रावधानों का उल्लेख किया है जो किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत होने के बावजूद सरफेसी अधिनियम

के अधिभावी प्रभाव का प्रावधान करता है। विद्वान वकील के अनुसार धारा 37 जो अन्य कानूनों के प्रावधानों को लागू करती है, वह धारा 35 का विरोधाभासी नहीं है, हालांकि, सरफेसी अधिनियम का प्रभाव उस हद तक होगा जब यह किसी अन्य कानून के साथ संघर्ष में होगा और SARFAESI अधिनियम के अतिरिक्त अन्य कानून लागू होते रहेंगे।

(18) SARFAESI अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर, श्री सरीन ने अपने तर्क को ठोस रूप दिया है कि SARFAESI अधिनियम के प्रावधान कंपनी अधिनियम से आगे निकल जाते हैं क्योंकि यह एक विशेष और विशिष्ट कानून है जिसे एक श्रेष्ठ और सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। विद्वान वकील के अनुसार यह बाद की बात है और इसलिए, विद्वान कंपनी न्यायाधीश प्रतिभूतिकरण कंपनी के अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकते थे, जो कि SARFAESI अधिनियम के अक्षर और भावना से अलग हैं। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने राजस्थान वित्तीय निगम बनाम आधिकारिक परिसमापक (1), के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 6 और 17 और **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भारत बनाम आधिकारिक परिसमापक (2)** के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले के पैरा 11 से 13 पर भरोसा जताया है। । **बेकमैन्स इंडस्ट्रीज बनाम न्यू कानपुर(3)** , में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 39 और 40 और **सेंट्रल बैंक भारत बनाम केरल राज्य (4)** के मामले में फैसले के पैरा 47 पर भी भरोसा किया गया है। श्री सरीन ने **सुभाष कथूरिया बनाम देवे शुगर्स (2005 का सी.ए. संख्या 1811, 2006 का 854 और सी.पी. में 2007 के 2740 से 2742 तक 1995 की संख्या 170 और 1997 की 35, 3 मार्च 2009 को निर्णय लिया गया**के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के एक असूचित फैसले पर भी भरोसा किया ।

3.3.2009 को निर्णय लिया गया। उन्होंने हमारा ध्यान फैसले के पैरा 41 में प्रतिपादित कानूनी सिद्धांत की ओर आकर्षित किया है। श्री सरीन ने यह भी तर्क दिया है कि धारा 35 और 37 की संयुक्त व्याख्या के अनुसार, विभिन्न निर्णयों में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की तुलना में सरफेसी अधिनियम को प्रधानता प्रदान की गई है। उस संबंध में **अकोला ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम भारतीय स्टेट बैंक (5)** के मामले में भरोसा रखा गया है; **पुन: बीपीएल डिस्प्ले डिवाइसेस (6),** और **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुप्रा)** के मामले में सरफेसी अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी।

(19) उनका दूसरा तर्क यह है कि एक बार जब प्रतिभूतिकरण कंपनी को कंपनी न्यायालय की देखरेख में चल रही समापन कार्यवाही से बाहर रहने का हकदार माना गया है तो ऐसी कंपनी को कंपनी न्यायालय की जांच और पर्यवेक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। सरफेसी अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य और इरादे को ध्यान में रखते हुए। इस संबंध में उन्होंने **ट्रांसकोर बनाम भारत संघ (7)** और **मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (8)** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है। उन्होंने यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि न तो दलीलों में और न ही कंपनियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त आरोप/खोज रिपोर्ट या आधिकारिक परिसमापक की बैठक के मिनटों आदि के रूप में रिकॉर्ड पर रखे गए स्वीकृत दस्तावेजों में, यह यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी के संयंत्र और मशीनरी भी प्रतिभूतिकरण कंपनी/सुरक्षित ऋणदाता के एकमात्र सुरक्षित प्रभार के अधीन थे। इसी तरह, ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी का संयंत्र और मशीनरी एचएसआईआईडीसी के अलावा किसी अन्य बैंक या लेनदार के सुरक्षित प्रभार के अधीन थी। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत

किया है कि विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा की गई त्रुटि उनके दिनांक 20.3.2009 के आदेश में स्पष्ट है और इसे ठीक किया जाना चाहिए।

(20) एचएसआईआईडीसी के विद्वान वकील श्री कमल सहगल ने तर्क दिया है कि एक बार प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.1999 के आदेश के तहत बंद कर दिया गया है, तो कंपनी की सभी संपत्तियां आधिकारिक परिसमापक की हिरासत में हैं। विद्वान वकील के अनुसार आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से परिसंपत्तियों की बिक्री की निगरानी करके सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के हितों को ध्यान में रखने के लिए कंपनी न्यायालय पर एक कर्तव्य डाला गया है। इसके बाद बिक्री की कार्यवाही को अधिनियम की धारा 529ए और 530 के प्रावधानों के अनुसार वितरित किया जाना आवश्यक है। विद्वान वकील के अनुसार, संपत्ति की बिक्री और उसके वितरण का पवित्र कर्तव्य किसी सुरक्षित ऋणदाता या समापन की प्रक्रिया से बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता है। इसलिए, दिनांक 20.3.2009 का आदेश रद्द किया जाने योग्य है, क्योंकि यह प्रतिभूतिकरण कंपनी को भूमि और भवन के शेष टुकड़े को बेचने की अनुमति देता है। विद्वान वकील के अनुसार, विद्वान कंपनी न्यायाधीश के लिए खुला एकमात्र रास्ता आधिकारिक परिसमापक को एचएसआईआईडीसी और प्रतिभूतिकरण कंपनी के साथ मिलकर संपत्ति बेचने की अनुमति देना था। विद्वान वकील ने SARFAESI अधिनियम की धारा 5(3) के प्रावधानों का उल्लेख किया है और तर्क दिया है कि एकमात्र सुरक्षित ऋणदाता यानी बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए इस न्यायालय को अपनी सहमति दी थी, जिसे कभी वापस नहीं लिया गया और इसलिए, एक प्रतिभूतिकरण कंपनी के अधिकार SARFAESI अधिनियम की धारा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार, उसके पूर्ववर्ती,

अर्थात् बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई सहमति के अधीन रहेंगे। इसलिए, एक बार जब आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सहमति दे दी जाती है तो हित में उत्तराधिकारी होने के नाते प्रतिभूतिकरण कंपनी अपने पूर्ववर्ती के स्थान पर खड़ी होगी और माना जाता है कि उसने SARFAESI को लागू करने के कानूनी अधिकार को माफ कर दिया है । कार्यवाही करना। विद्वान वकील द्वारा दी गई एक अन्य दलील यह है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 35 और 37 की वास्तविक संरचना पर, अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, नियम 154 के साथ पठित अधिनियम की धारा 529, 529ए और 530 के अनुसार, आधिकारिक परिसमापक परिसंपत्तियों की बिक्री मूल्य, नीलामी और वितरण के निर्धारण में भाग लेने के लिए पूरी तरह से हकदार होगा, खासकर जब धारा 13(9) का पहला प्रावधान है ध्यान में रखा गया ।

(21) श्री सहगल ने तब तर्क दिया कि विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने किसी भी कीमत को तय करने से इनकार करके कानून में गंभीर त्रुटि की है, जो पहले 29.12 करोड़ों रुपये तय की गई थी। प्रतिभूतिकरण कंपनी को आधिकारिक परिसमापक के साथ-साथ एचएसआईआईडीसी के सहयोग के बिना भूमि के विशाल हिस्से के संबंध में जितनी संभव हो उतनी कीमत वसूलने की खुली छूट दी गई है। उन्होंने एक अन्य आधार पर भी विद्वान कंपनी न्यायाधीश के आदेश पर हमला किया है, यहां तक कि उन चल संपत्तियों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है जिन पर एचएसआईआईडीसी का भार है।

(22) उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, श्री सहगल ने **इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक (9)**, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 33/44 और **बेकमैन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा)** के फैसले के विभिन्न पैराओं पर भरोसा जताया है। । **राजस्थान वित्तीय निगम**

(सुप्रा) के मामले में फैसले के पैरा 16 और 17 में की गई टिप्पणियों पर भी भरोसा किया गया है। उन्होंने **यूनिक ब्यूटाइल बनाम यूपी वित्तीय निगम (10)** में दिए गए फैसले के पैरा 9 से 14 और **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया (सुप्रा)** के पैरा 4 और 5 पर भी भरोसा जताया है । छूट के सवाल पर, विद्वान वकील ने **सीता राम गुप्ता बनाम पंजाब नेशनल बैंक (11)** और **बैंक ऑफ इंडिया बनाम केतन पारेक (12)** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया है।

(23) आधिकारिक परिसमापक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री पुनिता सेठी ने तर्क दिया है कि प्रतिभूतिकरण कंपनी ने 2008 के सीए संख्या 705 के आवेदन दायर करके दिनांक 20.3.2008 (ए1) के आदेश को वापस लेने की प्रार्थना की थी, जिसे कंपनी न्यायालय द्वारा बेचने की अनुमति दी गई थी। कंपनी की संपत्ति पहले की बिक्री को रद्द करने के बाद, स्वयं कंपनी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर दी है। उन्होंने आवेदन (ए1) के पैरा 11 की सामग्री का एक विशिष्ट संदर्भ दिया है, जो कंपनी कोर्ट से सरफेसी अधिनियम के तहत समापन की प्रक्रिया से बाहर रहने और अपने सुरक्षा हित को लागू करने की अनुमति मांगता है। विद्वान वकील के अनुसार SARFAESI अधिनियम की धारा 13 में 'हो सकता है' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि सुरक्षित ऋणदाता SARFAESI अधिनियम लागू कर सकता है या न्यायालय के हस्तक्षेप से उसके सुरक्षित ब्याज की वसूली की जा सकती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मौजूदा मामले को बंद करने की कार्यवाही अंतिम चरण में थी, जब बिक्री नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका था और इसे सुरक्षित ऋणदाता यानी बैंक ऑफ इंडिया की स्पष्ट सहमति के बाद फिर से विज्ञापित किया जाना था।

(24) सुश्री सेठी द्वारा की गई एक अन्य दलील यह है कि प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी की सभी संपत्ति समापन की तारीख से अदालत की हिरासत में

मानी जाती है और कंपनी न्यायालय नियम, 1959 के नियम 232 के तहत, आधिकारिक परिसमापक है। कंपनी न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अधीन संपत्ति से निपटने का अधिकार है। उसने प्रस्तुत किया है कि ऐसी परिस्थितियों में SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी पर लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने **राजस्थान वित्तीय निगम के मामले (सुप्रा)** के फैसले पर भरोसा किया है और तर्क दिया है कि इसे विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी पर कुछ शर्तें लगाकर सही ढंग से लागू किया गया है, जबकि इसे समापन से बाहर रहने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, SARFAESI अधिनियम की धारा 37 में किए गए स्पष्ट प्रावधान द्वारा, कंपनी अधिनियम को विशेष रूप से लागू किया गया है। उन्होंने **धीर और धीर एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरिटाइजेशन कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड(13)** के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भी भरोसा जताया है, जिसमें के आदेश कंपनी न्यायालय द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी पर लगाई गई बेड़ियाँ को अपील में बरकरार रखा गया है। विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दूसरा नोटिस 26.3.2009 को जारी किया गया था, जो प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी के संयंत्र और मशीनरी के संबंध में था और 60 दिनों की समाप्ति अवधि से पहले था। 23.5.2009 को संपत्ति का कब्ज़ा ले लिया गया और इसलिए, SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा कोई वैध नोटिस जारी नहीं किया गया है।

(25) उपरोक्त विस्तृत तर्क हमें कानून के निम्नलिखित दो प्रश्नों की ओर ले जाएंगे:-

(ए) क्या कंपनी न्यायालय को SARFAESI अधिनियम की धारा 13 के तहत परिसमापन में या समापन के तहत एक कंपनी के संबंध में एक प्रतिभूतिकरण कंपनी / सुरक्षित लेनदार को पर्यवेक्षी निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है या प्रतिभूतिकरण कंपनी समापन के बाहर खड़े होने का विकल्प चुन रही है क्या यूपी परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री आय का उपयोग करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है?

(बी) क्या विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने यह देखकर तथ्यात्मक त्रुटि की है कि एचएसआईआईडीसी के पास संयंत्र और मशीनरी के संबंध में दृष्टिबंधक है?

उत्तर : प्रश्न (ए) :

(26) उपरोक्त मुद्दे का उत्तर देने के लिए SARFAESI अधिनियम की धारा 13 के सही आयात का पता लगाना आवश्यक होगा। यह प्रदान करता है कि एक सुरक्षित ऋणदाता संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 69 या 69ए के बावजूद न्यायालय या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना किसी भी सुरक्षा हित को लागू कर सकता है। जहां भी कोई उधारकर्ता सुरक्षा ऋण या किसी भी किस्त के पुनर्भुगतान में चूककर्ता है पुनर्भुगतान या उसके विरुद्ध लंबित ऋण को सुरक्षित ऋणदाता द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है [आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड देखें - अग्रिमों से संबंधित] परिपत्र दिनांक 30.8.2001 के माध्यम से। उपरोक्त परिपत्र **मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड (सुप्रा)** के मामले में विस्तार से निर्धारित किया गया है, फिर अपने बकाया की वसूली के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले, सुरक्षित ऋणदाता ऐसे उधारकर्ता को देनदारियों का निर्वहन करने के

लिए लिखित रूप में 60 दिनों की अवधि का एक नोटिस देने के लिए बाध्य है। ऐसा न करने पर सुरक्षित ऋणदाता सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) द्वारा प्रदान किए गए कोई भी उपाय करने का हकदार होगा। धारा 13 की उप-धारा (3) में आगे प्रावधान है कि एक सुरक्षित ऋणदाता ऐसे उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि और भुगतान न करने की स्थिति में सुरक्षित ऋणदाता द्वारा लागू की जाने वाली सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण देने के लिए बाध्य है। मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में की गई टिप्पणियों के अनुसरण में, SARFAESI अधिनियम की धारा 13 में उप-धारा (3 ए) भी जोड़ा गया था कि यदि कोई उधारकर्ता नोटिस प्राप्त होने पर कोई प्रतिनिधित्व करता है या कोई आपत्ति उठाता है धारा 13(2) के तहत, सुरक्षित ऋणदाता ऐसे प्रतिनिधित्व या आपत्ति पर विचार करने के लिए बाध्य है। यदि वह यह निष्कर्ष निकालता है कि ऐसा अभ्यावेदन या आपत्ति स्वीकार्य या तर्कसंगत नहीं है, तो उसे ऐसे अभ्यावेदन या आपत्ति की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर उधारकर्ता को अभ्यावेदन या आपत्ति को अस्वीकार करने के कारणों के बारे में सूचित करना होगा, हालांकि ऐसे कारणों का संचार करना उधारकर्ता को धारा 17 के तहत ट्रिब्यूनल या धारा 17 ए के तहत जिला न्यायाधीश की अदालत में आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं देता।

(27) SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) उधारकर्ता को दिए गए नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में सुरक्षित ऋणदाता द्वारा चार उपाय शुरू करने का प्रावधान करती है। सुरक्षित ऋणदाता (ए) सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर सकता है जिसमें पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने का अधिकार शामिल है; (बी) हस्तांतरण के अधिकार सहित सुरक्षित संपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है; (सी)

सुरक्षित ऋणदाता द्वारा कब्जा कर ली गई सुरक्षित संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए एक प्रबंधक नियुक्त कर सकता है; और (डी) किसी ऐसे व्यक्ति से भी अपेक्षा की जा सकती है जिसने उधारकर्ता से कोई सुरक्षित संपत्ति हासिल की है या जिससे उधारकर्ता को कोई पैसा बकाया है, उसे उसे भुगतान करना होगा क्योंकि यह सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। हालाँकि, SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) में प्रावधान है कि यदि बिक्री या हस्तांतरण से पहले सुरक्षित ऋणदाता के सभी बकाया उसे सौंप दिए जाते हैं तो उस दिशा में कोई और कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

(28) हमारे सामने उठाए गए मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान SARFAESI अधिनियम की धारा 13(9) है, जो इस प्रकार है:-

"13(9) एक से अधिक सुरक्षित लेनदारों द्वारा किसी वित्तीय परिसंपत्ति के वित्तपोषण या सुरक्षित लेनदारों द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति के संयुक्त वित्तपोषण के मामले में, कोई भी सुरक्षित लेनदार उसे दिए गए किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। उप-धारा (4) के अनुसार, जब तक कि इस तरह के अधिकार का प्रयोग सुरक्षित लेनदारों द्वारा रिकॉर्ड तिथि पर बकाया राशि के तीन-चौथाई से कम मूल्य का प्रतिनिधित्व करने पर सहमति न हो और ऐसी कार्रवाई सभी सुरक्षित लेनदारों पर बाध्यकारी होगी: बशर्ते कि किसी कंपनी के परिसमापन के मामले में, सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 529ए के प्रावधानों के अनुसार वितरित किया जाएगा:

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके बाद किसी कंपनी के बंद होने की स्थिति में, ऐसी कंपनी का सुरक्षित ऋणदाता, जो अपनी सुरक्षा को त्यागने और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा

529 की धारा (1) उप-उपबंध के तहत अपने ऋण को साबित करने के बजाय, अपनी सुरक्षा का एहसास करने का विकल्प चुनता है। परिसमापक के पास कामगार का बकाया जमा करने के बाद अपनी सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री आय को बरकरार रख सकती है उस अधिनियम का धारा 529ए के प्रावधानों के अनुसार

बशर्ते कि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट परिसमापक सुरक्षित लेनदारों को कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 529ए के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों के बकाया के बारे में सूचित करेगा और यदि ऐसे श्रमिकों के बकाया का पता नहीं लगाया जा सकता है, परिसमापक उस धारा के तहत कामगारों की बकाया राशि की अनुमानित राशि सुरक्षित ऋणदाता को सूचित करेगा और ऐसे मामले में सुरक्षित ऋणदाता परिसमापक के पास ऐसी अनुमानित देय राशि जमा करने के बाद सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री आय को अपने पास रख सकता है:

बशर्ते यह भी कि यदि सुरक्षित ऋणदाता श्रमिकों की बकाया राशि की अनुमानित राशि जमा कर देता है, तो ऐसा ऋणदाता श्रमिकों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा या सुरक्षित ऋणदाता द्वारा परिसमापक को जमा की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, प्राप्त करने का हकदार होगा।:

बशर्ते यह भी कि सुरक्षित ऋणदाता श्रमिकों की बकाया राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए एक परिसमापक प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,--

(ए) "रिकॉर्ड तिथि" से ऐसी तारीख को बकाया राशि के मूल्य में कम से कम तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले सुरक्षित लेनदारों द्वारा सहमत तिथि अभिप्रेत है;

(बी) "बकाया राशि" में सुरक्षित ऋणदाता के खाते की किताबों के अनुसार सुरक्षित संपत्ति के संबंध में उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित ऋणदाता को देय मूलधन, ब्याज और कोई अन्य देय राशि शामिल होगी।

(29) SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (9) के अवलोकन से पता चलता है कि किसी कंपनी के परिसमापन की स्थिति में सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को अधिनियम की धारा 529A के प्रावधानों के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए। दूसरे प्रावधान में यह भी कहा गया है कि सरफेसी अधिनियम के लागू होने के बाद किसी कंपनी के बंद होने की स्थिति में, एक सुरक्षित ऋणदाता या एक प्रतिभूतिकरण कंपनी अधिनियम की धारा 529ए की आवश्यकताओं के अनुसार परिसमापक के पास श्रमिकों का बकाया जमा करने के बाद अपनी सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री आय को बरकरार रख सकती है। इसी तरह, परिसमापक को श्रमिकों के बकाया राशि की अनुमानित राशि सुरक्षित ऋणदाता को सूचित करने की आवश्यकता होती है और ऐसे मामले में सुरक्षित ऋणदाता परिसमापक के पास ऐसे अनुमानित श्रमिकों के बकाया की राशि जमा करने के बाद सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री आय को बरकरार रख सकता है।

(30) उपरोक्त प्रावधान **राजस्थान वित्तीय निगम (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। जो मुद्दा उनके आधिपत्य के समक्ष आया वह राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के तहत देनदार कंपनी के खिलाफ कंपनी की संपत्ति बेचने और कंपनी के समापन के दौरान सुरक्षा का एहसास करने के राज्य वित्तीय निगम के अधिकार से संबंधित था। ऊपर। यह माना गया है कि ऐसे मामले में धारा 29 के तहत अधिकार का प्रयोग राज्य वित्तीय निगम द्वारा कंपनी न्यायालय से उचित अनुमति प्राप्त करने और

अधिनियम की धारा 529 और 529ए के संदर्भ में बिक्री और बिक्री आय का वितरण की प्रक्रिया के संबंध में कंपनी न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कार्य करने के बाद ही किया जा सकता है। । फैसले के पैरा 17 और 18 से उन के आधिपत्य के विचारों को समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है: -

"17. इस प्रकार, जो उभर कर आता है वह यह है कि एक बार समापन की कार्यवाही शुरू हो जाती है और परिसमापक को कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री का प्रभारी बना दिया जाता है, परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय का वितरण होता ऋण वसूली अधिनियम के तहत या एसएफसी अधिनियम के तहत आने वाले वित्तीय संस्थानों के कहने पर केवल आधिकारिक परिसमापक के सहयोग से और कंपनी अदालत की देखरेख में हो सकते हैं। परिसंपत्तियों को बेचने के लिए किसी वित्तीय संस्थान या वसूली अधिकरण या किसी वित्तीय निगम या न्यायालय, जिससे एस. एफ. सी. अधिनियम की धारा 31 के अधीन संपर्क किया गया है, का अधिकार नहीं लिया जा सकता है, लेकिन यह उससे संबद्ध सरकारी परिसमापक की आवश्यकता द्वारा प्रतिबंधित है, जिससे कंपनी न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का अधिकार मिलता है कि परिसंपत्तियों का वितरण कंपनी अधिनियम की धारा 529क के अनुसार हो। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि, अपीलकर्ताओं ने एसएफसी अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है। हमारे पास केवल एक परिसमापन कार्यवाही लंबित है और सुरक्षित लेनदार, वित्तीय निगम परिसमापन के बाहर खड़े होने और परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों को बेचने की अनुमति के लिए कंपनी अदालत से संपर्क कर रहे हैं। कंपनी अदालत ने सही निर्देश दिया है कि बिक्री कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक परिसमापक के सहयोग से की जाएगी और आय को आधिकारिक परिसमापक के पास तब तक रखा

जाएगा जब तक कि उन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए के तहत उसकी देखरेख में वितरित नहीं किया जाता है। इस प्रकार दिए गए निर्देश स्पष्ट रूप से प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों में व्यक्त विचारों के अनुरूप हैं । ऐसे में हमें हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। हम स्पष्ट करते हैं कि **इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य (सुप्रा) [एआईआर 2000 एससी 1535]** और **इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (सुप्रा) [(2003) 10 एससीसी 482]** के लेनदारों के बीच वितरण के मामले में कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529ए की प्रयोज्यता के संबंध में निर्णयों के बीच कोई असंगतता नहीं है। एसएफसी अधिनियम के तहत या ऋण वसूली अधिनियम के तहत उन अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले और समापन के बाहर खड़े लेनदार द्वारा बेचने का अधिकार, सुरक्षा की बिक्री की आय के वितरण और ऐसे मामले में वितरण से अलग है जहां देनदार एक ऐसी कंपनी है जो बंद होने की प्रक्रिया में है, यह केवल कंपनी अधिनियम की धारा 529 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 529-ए के संदर्भ में हो सकता है। आख़िरकार, परिसमापक लेनदारों के पूरे निकाय का प्रतिनिधित्व करता है और श्रमिकों की ओर से सुरक्षित लेनदारों के साथ समान वितरण का अधिकार रखता है और कंपनी न्यायालय के निर्देशों के तहत कंपनी अधिनियम के धारा 530 में निहित प्राथमिकताओं के आधार पर आय के आगे वितरण के लिए कर्तव्य रखता है। दूसरे शब्दों में, कंपनी अदालत के निर्देश के तहत बिक्री आय का वितरण उसकी जिम्मेदारी है। वितरण की योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, आधिकारिक परिसमापक को बिक्री की प्रक्रिया से जोड़ना आवश्यक है ताकि वह कंपनी अदालत के निर्देशों के आलोक में यह सुनिश्चित कर सके कि परिसमापन में कंपनी

की संपत्ति के लिए उचित मूल्य प्राप्त हो। इसी संदर्भ में इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड (सुप्रा) में आधिकारिक परिसमापक के अधिकारों पर चर्चा की गई थी। एसएफसी अधिनियम की धारा 31 के तहत एक आवेदन पर विचार करने वाले ऋण वसूली न्यायाधिकरण और जिला अदालत को परिसमापक को नोटिस जारी करना चाहिए और बिक्री का आदेश देने से पहले, सामान्य रूप से लेनदारों के प्रतिनिधि के रूप में उसे सुनना चाहिए।

18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम कानूनी स्थिति को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:-

i) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत कार्य करने वाला एक ऋण वसूली न्यायाधिकरण अपने वसूली अधिकारी के माध्यम से देनदार की संपत्तियों की बिक्री का आदेश देने और बेचने का हकदार होगा, भले ही कोई कंपनी परिसमापन में हो। लेकिन केवल आधिकारिक परिसमापक या कंपनी न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक को नोटिस देने और उसे सुनने के बाद ही।

ii) एसएफसी अधिनियम की धारा 31 के तहत एक आवेदन पर विचार करने वाले जिला न्यायालय के पास परिसमापन में उधार लेने वाली कंपनी की संपत्ति की बिक्री का आदेश देने की शक्ति होगी, लेकिन केवल आधिकारिक परिसमापक या कंपनी न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक को नोटिस के बाद और उसे सुनने के बाद ही।

iii) यदि एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के तहत कार्य करने वाला कोई वित्तीय निगम परिसमापन में देनदार कंपनी की संपत्तियों को बेचने या अन्यथा स्थानांतरित करना चाहता है, तो उक्त शक्ति का प्रयोग कंपनी अदालत से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है और बिक्री के साथ आधिकारिक परिसमापक को जोड़ने,

अपसेट मूल्य या आरक्षित मूल्य तय करने, बिक्री की पुष्टि करने, बिक्री आय को रखने और लेनदारों के बीच उसके वितरण के संबंध में उस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार और कंपनी अधिनियम की धारा 529ए और धारा 529 के अनुसार कार्य करना होगा ।

iv) ऐसे मामले में जहां बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 या एसएफसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, संबंधित ऋणदाता को अपनी प्रतिभूतियों की वसूली के संबंध में उचित निर्देशों के लिए कंपनी अदालत से संपर्क करना होगा। परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों के वितरण के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ।"

(31) एक बार जब राज्य वित्तीय निगम और ऋण वसूली न्यायाधिकरण के संबंध में कंपनी न्यायालय की उपरोक्त कानूनी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, तो उसी तर्क के आधार पर यदि प्रतिभूतिकरण कंपनी परिसमापन में एक उधारकर्ता कंपनी की संपत्ति को बेचने या स्थानांतरित करने का विकल्प चुनती है। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत, यह इस प्रकार है कि एक प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल कंपनी न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने और उस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने के बाद ही किया जा सकता है। उपरोक्त दृष्टिकोण का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बेकमैन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा)** के मामले में फैसले के पैरा 40 में पालन और लागू किया गया, **राजस्थान राज्य वित्तीय निगम (सुप्रा)** के मामले में दिए गए तर्क का पालन करके, जो पहले ही पिछले पैराग्राफ में निकाला जा चुका है।

(32) **राम कृपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (14)** में, यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि राज्य वित्तीय निगम किसी देनदार के खिलाफ धारा 29 के तहत अपनी शक्ति का एकतरफा उपयोग कर सकता है, जब तक

कि समापन का कोई आदेश न हो। समापन के आदेश के बाद यह आधिकारिक परिसमापक की सहमति के बिना गिरवी रखी गई संपत्तियों की वसूली नहीं कर सकता है, जो कंपनी न्यायालय के निर्देशों के बिना कार्य नहीं कर सकता है। इसी तरह, **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुप्रा)** के मामले में एक नवीनतम फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीआरटी अधिनियम की तुलना में सरफेसी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की परस्पर क्रिया का विश्लेषण किया है। SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (9) के असंख्यांकित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, इसे निम्नानुसार देखा गया है: -

"114. उप-धारा (9) के विभिन्न प्रावधानों को अधिनियमित करके, विधायिका ने यह सुनिश्चित किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529-ए के तहत परिसमापन में सुरक्षित ऋणदाताओं की तुलना में कंपनी के श्रमिकों के दावे को प्राथमिकता दी जाए। जैसे बैंकों का उचित सम्मान किया जाता है। यही कारण है कि धारा 13 (9) के पांच असंख्यांकित प्रावधानों में से पहला यह बताता है कि परिसमापन में कंपनी के मामले में, सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को तदनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529ए के प्रावधान के अनुसार वितरित किया जाएगा । यह और अन्य प्रावधान पहली बार परिसमापन में किसी कंपनी के कर्मचारी के पक्ष में पहला भार नहीं बनाते हैं, बल्कि कंपनी अधिनियम के तहत उनके दावे की मौजूदा प्राथमिकता को मान्यता देते हैं। यह यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि धारा 13 की उपधारा (9) के प्रावधान उन कंपनियों से संबंधित नहीं हैं जो उधारकर्ता की श्रेणी में आती हैं लेकिन जो परिसमापन में नहीं हैं या बंद नहीं की जा रही हैं।

115. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऊपर उल्लिखित प्रावधान विधायिका द्वारा विकसित वितरण तंत्र का केवल एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य

परिसमापन में कंपनी के श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और संरक्षण करना है जिनकी संपत्ति प्रतिभूतिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है और सुरक्षित ऋणदाता द्वारा उसकी धारा 13 के अनुसार निपटान किया जाता है।"

(33) एक बार जब उपरोक्त कानूनी स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो यह निष्कर्ष निकालना होगा कि कंपनी न्यायालय को एक प्रतिभूतिकरण कंपनी या एक सुरक्षित ऋणदाता को निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, जिसने समापन से बाहर रहने का विकल्प चुना हो और धारा 13(4)सरफेसी एक्ट के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया हो। इसलिए, हम पाते हैं कि विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने इस मुद्दे की सही ढंग से सराहना की है जब उसने इन **री: बीपीएल डिस्प्ले डिवाइसेस (सुप्रा)** के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और पैरा 11 में निम्नानुसार अवलोकन किया: -

> "11. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम के उद्देश्यों की पहचान न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति अधिनियम को लागू करने के प्रावधान के रूप में की और एक बिंदु पर कायम रहा, जिस पर उसने पहले देखा था कि यह एक उल्लेखनीय विवाद नहीं था कि "वहां SARFAESI अधिनियम और कंपनी अधिनियम के बीच कोई स्पष्ट टकराव नहीं था और इसलिए सुरक्षा हित की बिक्री के बीच कोई टकराव प्रतीत नहीं होता है। SARFAESI अधिनियम को इस रूप में सुसंगत बनाना होगा कि अधिनियम स्वयं घोषित करे कि यह कंपनी अधिनियम के अतिरिक्त है न कि उसका निरादर है। पैराग्राफ 41 में कहा गया है कि गैर-निष्पादित संपत्तियों से ऋण की त्वरित वसूली का उद्देश्य विफल

हो जाएगा यदि ओ.एल. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और प्रतिभूतिकरण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन के प्रत्येक चरण की निगरानी करने के लिए हस्तक्षेप करेगा। इसलिए कंपनी न्यायालय को SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देनी चाहिए, भले ही समापन की कार्यवाही की सिफारिश की गई हो या लंबित हो, कंपनी परिसमापन के अधीन है। हालाँकि, कर्मचारियों के बकाए और सार्वजनिक हित सहित अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी न्यायालय के वैधानिक कर्तव्य, न्यायालय को बिक्री की प्रक्रिया के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य करेंगे।"

(34) हम उपरोक्त टिप्पणी से पूरी तरह सहमत हैं, जो विभिन्न निर्णयों, जिनमें से कुछ का उल्लेख ऊपर किया गया है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है।

(35) निर्धारण के लिए सामने आने वाला सहायक मुद्दा सरफेसी अधिनियम की धारा 35 और 37 के वास्तविक महत्व से संबंधित है। विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने सही विचार रखा है कि प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से निर्माण के सुनहरे नियम को अपनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

"9. **एआईआर 2008 मद्रास 108 में रिपोर्ट किए गए के. चिदंबर मणिक्कम और अन्य बनाम शकीना और अन्य** को मद्रास उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने SARFAESI अधिनियम के तहत वित्तीय संस्थानों के दावों की प्रधानता को संबोधित करते हुए निपटाया था। इसने यह भी जांच की कि क्या SARFAESI अधिनियम की धारा 35, जिसमें एक गैर-अस्थिर खंड शामिल था, ने धारा 37 को खत्म कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम के प्रावधान अतिरिक्त होंगे और कंपनी अधिनियम का अपमान नहीं करेंगे। खण्ड पीठ ने निर्माण

का सुनहरा नियम अपनाया कि प्रयास हमेशा प्रावधानों में सामंजस्य बिठाने का होना चाहिए और एक ही अधिनियम के तहत दो अनुभागों के बीच कोई टकराव नहीं देखना चाहिए। यह निर्णय वास्तव में कंपनी के समापन के बाद पहले से ही शुरू होने वाली किसी भी बिक्री के प्रभाव के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है जो हमारे मामले में मुद्दा है। **रामा स्टील इंडस्ट्रीज और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (यूओआई) और एक अन्य एआईआर 2008 बॉम्बे 38** में रिपोर्ट किया गया मामला सरफेसी अधिनियम और आरडीबी अधिनियम और अन्य अधिनियमों के प्रावधानों की परस्पर क्रिया के मामले से संबंधित है। इसमें पाया गया कि प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 37 के तहत अभिव्यक्ति "उस समय के लिए कोई अन्य कानून लागू था" आरडीबी अधिनियम की धारा 34 (2) से गायब थी। बेंच के अनुसार यह महत्वपूर्ण था लेकिन इससे पता चला कि यह उपाय उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के अतिरिक्त था और वसूली के अन्य तंत्र की उपलब्धता सरफेसी अधिनियम के तहत उपाय प्रदान करने में बाधा नहीं बन सकती है। ....."

(36) हम विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि SARFAESI अधिनियम की धारा 35 उस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत किसी भी चीज़ के गैर-अस्थिर खंड के साथ इसके प्रावधानों के अधिभावी प्रभाव का प्रावधान करती है। यह केवल असंगतता है जो अन्य कानूनों को लागू करने से रोकेगी, अन्यथा नहीं। अधिनियम की धारा 529ए के स्वीकृत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षी निर्देशों के मुद्दों में कोई असंगतता नहीं है, जैसा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(9) के असंख्यांकित पांच प्रावधानों द्वारा प्रतिध्वनित होता है क्योंकि सरफेसी अधिनियम में धारा 529ए के अनुसार श्रमिकों के देय दावे के साथ कोई विरोधाभास देने वाला कोई

प्रावधान नहीं है। यह नोटिस करना और भी प्रासंगिक है कि इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने पहले ही चुनौती के तहत आदेश को बरकरार रखा है जब **धीर और धीर एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरिटाइजेशन कंपनी (सुप्रा)** के मामले में विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा इसके तर्क को अपनाया गया था। उपरोक्त मामले में विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.3.2009 के खिलाफ अपील इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ (जिसमें हम में से एक, एम.एम. कुमार, जे. सदस्य थे) द्वारा खारिज कर दी गई है। धीर और धीर एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरिटाइजेशन कंपनी (सुप्रा) के फैसले के पैरा 2 में चुनौती के तहत आदेश का एक स्पष्ट संदर्भ दिया गया है और विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए समान तर्क को निम्नानुसार पढ़ा गया है:-

"2. अपीलकर्ता पुनर्निर्माण कंपनी ने विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.2.2009 में संशोधन के लिए 2009 के सीए नंबर 151 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि कंपनी की संपत्ति न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा नहीं बेची जाएगी और नोटिस जारी किया था। विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने **सीए नंबर 704 और 705 2008 के सीपी नंबर 133 के 2003 में अन्य कंपनी अनुप्रयोगों के साथ पेगासस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड** के मामले में दिनांक 20.3.2009 के अपने फैसले में दिए गए तर्क को अपनाया। उस फैसले में, विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने सरफेसी अधिनियम और कंपनी अधिनियम में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। ....."

(37) उपरोक्त आदेश पर गौर करते हुए डिवीजन बेंच ने उक्त मामले में प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा दावा की गई पूर्ण स्वतंत्रता की परिकल्पना को खारिज कर दिया और निम्नानुसार निरीक्षण किया:

"6. .....ऊपर दिए गए आदेश के पैरा 8 में जारी किए गए निर्देशों का अवलोकन करने से पता चलता है कि अपीलकर्ता पुनर्निर्माण कंपनी के लिए यह खुला छोड़ दिया गया है कि यदि समापन के लिए याचिका दायर की जाती है तो वह उचित निर्देशों के लिए कंपनी न्यायालय में जा सकती है। समापन याचिका अभी भी लंबित है। स्थिति इस अर्थ में तरल है कि इस स्तर पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि समापन का आदेश होगा या नहीं। यदि समापन का आदेश है तो कंपनी अधिनियम की धारा 529ए के अनुसार श्रम बकाया का भुगतान अपीलकर्ता पुनर्निर्माण कंपनी को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(9) की आवश्यकता के अनुसार करना होगा। विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश अपीलकर्ता पुनर्निर्माण कंपनी के काम को रोकने की सीमा तक नहीं जाते हैं। निर्देश वास्तव में प्रकृति में पर्यवेक्षी हैं और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून द्वारा अनुमत प्रत्येक के बकाया का भुगतान किया जाए। विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने अपीलकर्ता पुनर्निर्माण कंपनी को न्यायालय की अनुमति के बिना बिक्री आय के विनियोग या वितरण से परहेज करने के लिए कहकर पर्यवेक्षी निर्देश भी जारी किए हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह कहा जा सके कि विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने पुनर्निर्माण कंपनी के कामकाज में हस्तक्षेप किया था क्योंकि सरफेसी की धारा 13 (7) के प्रावधानों के अनुसार जब भी कोई धनराशि खर्च करने की आवश्यकता होती है यह कार्य न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है। अपीलकर्ता-पुनर्निर्माण कंपनी को न केवल संपत्तियों पर कब्ज़ा करने की स्वतंत्रता दी गई है, बल्कि उन संपत्तियों की बिक्री के साथ आगे बढ़ने की भी छूट

दी गई है, बशर्ते कि अपीलकर्ता-पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा बिक्री आय का कोई विनियोग या वितरण न किया जाए। न्यायालय की अनुमति के बिना. हम विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक अग्रवाल द्वारा प्रतिपादित इस थीसिस को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं कि अपीलकर्ता-पुनर्निर्माण कंपनी पूरी तरह से 'मुक्त पक्षी' है। SARFAESI अधिनियम की धारा 13(9) के अवलोकन से पता चलता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए के अनुसार श्रम बकाया का भुगतान अपीलकर्ता पुनर्निर्माण कंपनी को करना होगा। इस स्तर पर यह सुनिश्चित करना विद्वान कंपनी न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि धारा 13(9) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता-पुनर्निर्माण कंपनी को पहले से ही समापन से बाहर रखा गया है और बिक्री के प्रस्ताव आदि के संबंध में आधिकारिक परिसमापक को जानकारी देना आवश्यक है। जनता को बिक्री नोटिस में समापन खंड शामिल होना चाहिए कार्यवाही कंपनी न्यायालय के समक्ष लंबित है। ये निर्देश केवल पर्यवेक्षी चरित्र के हैं और ऐसी कोई बाधा नहीं डालते हैं जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलकर्ता पुनर्निर्माण कंपनी अपना कार्य ठीक से नहीं कर सकती है। अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है और उसे खारिज किया जाता है।" (जोर दिया गया)

(38) हम श्री एम.एल. सरीन और श्री कमल सहगल द्वारा उद्धृत मामले के अनुसार कोई विस्तृत चर्चा करने के इच्छुक नहीं हैं। **ट्रांसकोर मामले (सुप्रा)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तत्काल अपीलों में उठाए गए प्रश्न से संबंधित नहीं है। उसमें इस सवाल पर बहस हुई कि क्या डीआरटी अधिनियम की धारा 19(1) के पहले प्रावधान के संदर्भ में मूल आवेदन को वापस लेना सरफेसी अधिनियम का सहारा लेने के लिए एक शर्त थी और दिया गया उत्तर नकारात्मक था। इसी तरह, **मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड (सुप्रा)** के मामले में विभिन्न प्रावधानों की

संवैधानिक वैधता पर बहस हुई और इसका तत्काल अपील में उठाए गए सवाल पर कोई असर नहीं पड़ा। विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अन्य निर्णयों के संबंध में भी यही स्थिति होगी। इसलिए, कोई विस्तृत सर्वेक्षण आवश्यक नहीं होगा क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में तर्कों पर ध्यान दिया गया है।

(39) उपरोक्त के मद्देनजर, दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रश्न (ए) का उत्तर दिया गया है और उनकी अपील खारिज होने योग्य है।

पुन: प्रश्न (बी):

(40) हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आक्षेपित निर्णय के पैरा 3 में तथ्यों को दर्ज करते समय, विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने एक तथ्यात्मक त्रुटि की है, जब उन्होंने निम्नानुसार देखा: -

"3. यह विवाद में नहीं है कि बैंक ऑफ इंडिया उस भूमि के संबंध में एकमात्र सुरक्षित ऋणदाता था जहां कंपनी का कारखाना परिसर स्थित था। अकेले संयंत्र और मशीनरी उस समय एचएसआईआईडीसी के लिए बंधक का विषय थी जब कंपनी थी ख़त्म हो गया..." (जोर दिया गया)

(41) हमने रिकॉर्ड की जांच की है और इसे एचएसआईआईडीसी के वकील के समक्ष भी रखा है कि क्या इसके साथ संयंत्र और मशीनरी का कोई दृष्टि बंधक था। रिकॉर्ड इस तरह का कोई दृष्टि बंधक नहीं दिखाता है और न ही एचएसआईआईडीसी के विद्वान वकील श्री कमल सहगल उपरोक्त कथनों का समर्थन करने में सक्षम हैं। इसलिए, तथ्यात्मक त्रुटि है और उस हद तक विवादित आदेश संशोधित किए जाने योग्य है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एचएसआईआईडीसी कच्चे माल के संबंध में केवल एक सुरक्षित ऋणदाता होगा और वास्तव में, संयंत्र और मशीनरी के लिए एक असुरक्षित ऋणदाता होगा। यह प्रतिभूतिकरण कंपनी के

समान बिक्री की प्रक्रिया या भागीदारी के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

(42) उपरोक्त कारणों से, ये अपीलें खारिज की जाती हैं। हालाँकि, तथ्यात्मक त्रुटि को स्वीकार कर लिया गया है और निम्नलिखित पंक्ति, जैसा कि आक्षेपित निर्णय के पैरा 3 में मौजूद है, को हटाने का आदेश दिया जाता है:

"जब कंपनी बंद हुई थी तो केवल प्लांट और मशीनरी ही एचएसआईआईडीसी के लिए बंधक का विषय थी।"

(1)एआईआर 2006 एस.सी. 755

(2) (2006) 134 कंपनी मामले 267 (मैड.)

(3) (2008) 144 कंपनी मामले 71 (एससी)

(4) (2009) 4 एस.सी.सी. 94

(5) 2006 (1) बम। सी.आर. 362

(6) (2009) 150 कंपनी मामले 280 (सभी)

(7) (2008) आई एस.सी.सी. 125

(8) (2004)4 एस.सी.सी. 311

(9) (2004)4 एस.सी.सी. 406

(10) (2003)2 एस.सी.सी. 455

(11) 2008 (2) आई.एस.जे. बैंकिंग 182

(12) (2008) 143 कंपनी मामले 711

(13) 2009 (3) पीएलआर 184

(14) (2007) 11 एस.सी.सी. 22

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा